प्रेषक,

सुरेन्द्र विक्रम,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2017

विषय: इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 113.10 लाख के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2016-17), दिनांक 21-03-2017, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2852 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के मद में **"तालिका-अ"** में अंकित मदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **"तालिका-ब"** में अंकित मदवार कुल रू0 20.00 लाख की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

	तालिका-अ	**तालिका-ब**
लेखाशीर्ष	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
2852-उद्योग 07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-22-इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय		
01-वेतन	42.00	6.00
03-मंहगाई भत्ता	49.10	00.00
04- यात्रा भत्ता	3.50	2.50
06-अन्य भत्ते	4.00	00.00
08-कार्यालय व्यय	2.50	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12.00	9.00
योग	113.10	20.00

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मिशन निदेशक द्वाराकेवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में "लेखा शीर्ष-2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-22-इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय-01 वेतन, 04-यात्रा व्यय, 08-कार्यालय व्यय, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र विक्रम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2017/272(1)/78-1-2017 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5& निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।